**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1495**

**दिनांक 04.03.2020/ 14 फाल्‍गुन, 1941 (शक) को उत्‍तर के लिए**

**चेहरे की पहचान की स्वचालित प्रणाली (एएफआरएस)**

**1495. श्री ए॰ के॰ सेल्वाराजः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा चेहरे की पहचान की स्वचालित प्रणाली (एएफआरएस) लागू की जा रही है;**

**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(ग) क्या यह भी सच है कि चेहरे की पहचान की स्वचालित प्रणाली से निजता का उल्लंघन होगा;**

**(घ) क्या यह भी सच है कि एएफआरएस का डेटाबेस केवल विधि प्रवर्तन अभिकरणों को उपलब्ध होगा; और**

**(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?**

**उत्‍तर**

**गृह मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री जी़ किशन रेड्डी)**

(क) और (ख): राष्‍ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्‍यूरो द्वारा “स्वचालित चेहरा पहचान प्रणाली (एएफआरएस)” के कार्यान्‍वयन हेतु मंजूरी दी गई है। इससे अपराधियों, अज्ञात शवों और खोये/पाये गये बच्‍चों तथा व्‍यक्तियों की बेहतर ढंग से पहचान करना सुविधाजनक बन जायेगा।

(ग): जी, नहीं।

(घ) और (ङ): जी, हां। एएफआरएस में पुलिस रिकॉर्डों का उपयोग किया जायेगा और यह केवल विधि प्रवर्तन एजेंसियां के लिए उपलब्‍ध रहेगा।

\*\*\*\*\*